



सत्यमेव जयते

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE CHANGE
उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़ / Northern Regional Office, Chandigarh



फाइल नम्बर :9-HRB173/2018-CHA

दिनांक : 20.9.2018

सेवा में

नोडल ऑफिसर एवं वन संरक्षक (एफ सी),
कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
C- 18, वन भवन, सेक्टर 6,
पंचकुला हरियाणा

विषय: Diversion of 0.013 ha of forest land for access to private property of Sh. Randhir Singh and others along NH1 (New NH 44), R/s at village Ramgarh, under Forest Division and District Kurukshetra, Haryana (online proposal no. FP/HR/Road/27410/2018)

सन्दर्भ: 1. नोडल आफिसर एवं वन संरक्षक के पत्र संख्या प्रशा डी तीन 8470/2170 दिनांक 12.09.2018.

महोदय,

मुझे आपका ध्यान उपर्युक्त विषय से सम्बन्धित संदर्भांकित पत्र की ओर दिलाने का निर्देश हुआ है, जिममें वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा- 2 के अनुसार गैर वानिकी उद्देश्य के लिए 0.013 हेक्टेयर वन भूमि की मांग की गई है।

2. प्रस्ताव से सम्बन्धित निम्नलिखित जानकारी भेजने का कष्ट करे:-

- Copy of document in support of the competence/authority of the person making this application to make application on behalf of the user agency under column A-3(xvii) uploaded is not correctly uploaded. Correct authorization be ubloaded.
- Details of violation made under column 11(i) of part II online is shown as 'NO'. Correction be made online.
- NOC from Town and Country Planning department.
- Penal CA scheme be provided and uploaded online.
- Details report on violation.

3. उपरोक्त जानकारी इस पत्र के जारी होने के पश्चात 30 दिनों के भीतर प्रस्तुत करे जिसके प्रस्तुत न करने की स्थिति के अभाव में इस प्रस्ताव को रद्द किया जा सकता है।

भवदीय

(एस० डी० शर्मा)

वन संरक्षक (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि:

- Divisional Forest Officer, Forest Division & District Kurukshetra, Haryana.
- Sh. Randhir Singh, Village Ram garh, Tehsil Thanesar, Distt Kurukshetra.